<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u> <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012022-232923 CG-DL-E-27012022-232923

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] No. 44] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/ MAGHA 5, 1943

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2022

सा.का.िन. 44(अ)—गैस सिलैंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का प्रारूप, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3, उप-खंड(i) में, संख्यांक सा.का.िन. 462(अ), तारीख 25 जून, 2021 द्वारा, ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां, 25 जून, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया गया;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, विस्फोटक अधिनियम 1884 (1884 का 4) की धारा 5 और धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गैस सिलेंडर नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

500 GI/2022 (1)

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. गैस सिलेंडर नियम, 2016 में, नियम 6 में उप-नियम 2 में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात:—
 - "(ग) गैर-विषाक्त, गैर-ज्वलनशील गैस और तरल पदार्थों को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी उच्च दाब के सिलेंडरों और क्रायोजेनिक आधानों में सिलेंडरों और आधानों के सहजदृश्य स्थान पर बार कोड या आरएफआईडी या क्यूआर कोड या किसी भी माध्यम के इलेक्ट्रॉनिक पहचान संख्या के रुप में स्थाई और परिवर्तित न की जा सकने वाली मार्किंग की जाएगी।

परंतु इन नियमों के प्रकाशन से पहले विनिर्मित सिलेंडरों के लिए उपरोक्त स्थायी और परिवर्तित न की जा सकने वाली मार्किंग, ऑक्सीजन सिलेंडर के मामले में, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले और अन्य गैर-विषैले और गैर-ज्वलनशील गैस सिलेंडरों के मामले में एक वर्ष की समाप्ति से पहले की होगी।"

[फा.सं. पी-13033/32/2021-विस्फोटक-भाग(1)] सुमिता दावरा, अपर सचिव

नोट- मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1081(अ), तारीख 22 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नानुसार संशोधित किए गएः

- 1. सा.का.नि. 189(अ) तारीख 27 फरवरी, 2018
- 2. सा.का.नि. 44(अ) तारीख 23 जनवरी, 2019

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2022

- **G.S.R. 44(E).**—**WHEREAS** the draft of certain rules further to amend the Gas Cylinder Rules, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 25th June, 2021, *vide* number G.S.R. 462 (E), dated the 25th June, 2021, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made Available to the public;
- **AND WHEREAS**, the copies of the said Gazette were made available to the public on 25th June, 2021;
- AND WHEREAS, objections and suggestions received from the public on the said draft rules were considered;
- **NOW, THEREFORE**, in exercise of the powers conferred by sections 5 and 7 of the Explosives Act, 1884 (4 of 1884), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Gas Cylinder Rules, 2016, namely:—
- 1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Gas Cylinders (Amendment) Rules, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Gas Cylinders Rules, 2016 in rule 6, in Sub-rule (2) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

"(c) All the high pressure cylinders and Cryogenic containers used for filling of Non-Toxic, Non-Flammable Gases and Liquids shall have permanent and tamper proof marking in form of Bar Code or RFID or QR code or any means of electronic identification number at conspicuous place on cylinders and containers.

Provided that for the cylinders manufactured before the publication of these rules shall have above said permanent and tamper proof marking, before expiry of six months in case of oxygen cylinders and one year in case of other non-toxic and non-flammable gas cylinders from the date of publication of these rules."

[F. No. P-13033/32/2021-EXPLOSIVE-Part(1)]

SUMITA DAWRA, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the official Gazette of India vide notification number G.S.R. number 1081(E) dated 22nd November, 2016 and subsequently amended as follows:

(1) G.S.R. 189(E) dated 27th February, 2018

(2) G.S.R. 44(E) dated 23rd January, 2019.